(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III / निग / दतिया / भू.रा. / 2018 / 0471

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़
द्वारा 16/01/18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 9-2-18 नियत।

रीडर
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 16-1-18

1. कामता पुत्र श्री परमोले,
2. गयादीन पुत्र परमोले,
निवासीगण खॉकापुरा, तहसील सेवढा,
जिला दतिया (म0प्र0)

—— आवेदकगण

बनाम

1. नावा, गुल्ली पुत्र बुद्धसिंह,
निवासी खॉकापुरा, सेवढा,
जिला – दतिया (म0प्र0) —— अनावेदक

2. पप्पू पुत्र किशुन लाल,

3. मंशाराम पुत्र किशुन लाल,
निवासी – खॉकापुरा तहसील सेवढा,
जिला – दतिया (म0प्र0)

—— फार्मल पक्षकार क्र.2 व 3

बृजेन्द्र सिंह धाकड़
16/01/18

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहित, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 337 / 2015–16 / अपील से दुखित होकर।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, मौजा सेवढा की आराजी क्रमांक 619 / 2 रकवा 0.623 एवं

(12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग0/दतिया/भू.रा./ 2018/0471

कामता विरूद्ध नावा, गुल्ली आदि

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-03-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्र0क्र0 337/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में वही बिन्दु एवं तथ्य दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.05.2017 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में विस्तृत विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है। चूंकि	

प्रकरण क्रमांक तीन / निग0 / दतिया / भू.रा. / 2018 / 0471

कामता विरूद्ध नावा, गुल्ली आदि

अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में की गयी विस्तृत एवं तर्क संगत विवेचना अंकित होने से यहां उसी विवेचना को दुहराया जाकर पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार किया गया।

4/ विचारोपरांत पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश विधिसंगत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य